



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032026-270832  
CG-DL-E-11032026-270832

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1192]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2026/फाल्गुन 19, 1947

No. 1192]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

**का.आ. 1244(अ).**— वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 15 मार्च, 2026 की तिथि को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रवृत्त होने की तिथि निर्धारित करती है।

[फा.सं. SR-20020/5/2020-ML]

राजेश कुमार सिन्हा, विशेष सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

**S.O. 1244(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), the Central Government hereby appoints the 15th day of March, 2026 as the date on which the provisions of said Act shall come into force.

[F. No. SR-20020/5/2020-ML]

RAJESH KUMAR SINHA, Special Secy.